

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक:- 333472 ग्रा०वि०,  
ग्रा०वि०-10/बजट- 06/2017

पटना, दिनांक:- 16.10.17

प्रेषक,

**राधा किशोर झा,**  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

**उप विकास आयुक्त,**  
पटना, भोजपुर, गया, मधुबनी, प.चम्पारण, कटिहार, सिवान एवं किशनगंज ।

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के अंतर्गत राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रूपये 7,33,49,100 (सात करोड़ तैंतीस लाख उनचास हजार एक सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है ।

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, 428 दिनांक 31.03.17 एवं 3002 दिनांक 26.04.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3) प्रखंड स्थापना को छोड़कर अन्य किसी स्थापना अर्थात जिला / नजारत / अनुमंडल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

4) पटना जिला को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में आवंटित राशि विभागीय पत्रांक 322917 दिनांक 21.08.17 एवं 328804 दिनांक 18.09.17 के आलोक में आवंटित की जा रही है । गया जिला को प्रशिक्षण मद में आवंटित की जा रही राशि श्री संजय कुमार अग्रवाल, उच्च वर्गीय लिपिक, खिजरसराय हेतु आवंटित है । मधुबनी जिला को वेतनादि मद में आवंटित राशि श्री अविनाश झा, प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड जयनगर हेतु आवंटित है । सिवान जिला को संविदा सेवाएं मद में आवंटित की जा रही राशि प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, बडहरिया हेतु आवंटित है ।

5) माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय तदोपरान्त नियमित वेतन का भुगतान पर व्यय किया जाय । न्यायालय संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में शिथिलता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

6) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर

वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके । इस आवंटन के विरुद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो ।

8) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।


9) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

10) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

11) इसकी मांग संख्या 42 एवं विपत्र कोड संख्या 42-2515001020001 है ।

12) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन



(राधा किशोर झा)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 333472 ग्रा.वि.वि., पटना, दिनांक:- 16.10.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव


## ग्रामीण विकास विभाग

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-

### सामुदायिक विकास-0001-पखंड स्थापना के अंतर्गत राशि का आवंटन

क्र०	जिला	कुल योग										
		01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	योग	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20 03 प्रशिक्षण	2802 सविदा सेवार	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	पटना	0	0	0	0	0	0	596100	0	0	596100	(पांच लाख छियानवे हजार एक सौ रुपये)
2	भोजपुर	9000000	10500000	200000	100000	200000	20000000	0	0	0	20000000	(दो करोड़ रुपये)
3	गया	0	0	0	0	0	0	0	5400	0	5400	(पांच हजार चार सौ रुपये)
4	मधुबनी	300000	450000	50000	14200	0	814200	0	0	0	814200	(आठ लाख चौदह हजार दो सौ रुपये)
5	प० चम्पारण	18000000	21000000	500000	300000	200000	40000000	0	0	0	40000000	(चार करोड़ रुपये)
6	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	1628800	1628800	(सोलह लाख अठारस हजार आठ सौ रुपये)
7	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	304600	304600	(तीन लाख चार हजार छह सौ रुपये)
8	किशनगंज	4000000	5600000	200000	100000	100000	10000000	0	0	0	10000000	(एक करोड़ रुपये)
	योग	31300000	37550000	950000	514200	500000	70814200	596100	5400	1933400	73349100	(सात करोड़ नौतीस लाख उनचास हजार एक सौ रुपये)

  
 (राधा किशोर सिंह)  
 सरकार के विशेष सचिव